सं०सं०-स०क०स्था०(मु०)-108/2024-1685

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

E-mail

सभी पदाधिकारी,
बिहार बाल विकास सेवा,
बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा,
बिहार बाल संरक्षण सेवा,
बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा,
बिहार।

पटना, दिनांक-10.3.2025

विषय :- अवकाश स्वीकृति एवं अवकाश में प्रस्थान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में पदस्थापित विभागीय सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा विभाग को सूचित किये बिना ही सीधे जिला में आवेदन देकर अवकाश में प्रस्थान कर जाते हैं एवं अवकाश उपभोग के उपरांत अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन कभी नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से तथा कभी सीधे विभाग को उपलब्ध कराया जाता है जो नियमानुकूल नहीं है।

उल्लेखनीय है कि बिहार सेवा संहिता के नियम-152 के अनुसार छुट्टी का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है।

उक्त आलोक में विभाग अंतर्गत पदस्थापित विभागीय सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि अति विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से सर्वप्रथम विभाग को उपलब्ध कराया जाय एवं विभाग से अनुमति मिलने के उपरांत ही अवकाश में प्रस्थान करें।

विश्वासभाजन

10/3/25

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०स्था०(मु०)-108/2024-1685 पटना, दिनांक-10.3.2025

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/25

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।